बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (भोजपुर) 02–133/2023– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक–1510/स्था0 दिनांक–19.10.2023 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र में **श्री दया शंकर झा, राजस्व अधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, सहार, भोजपुर** की प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय चयन पर्षद, (सिपाही भर्ती) परीक्षा के अवसर पर संयुक्त आदेश ज्ञापांक–2250/गो0 दिनांक–28.09.2023 द्वारा स्टेटिक दंडाधिकारी–सह–प्रेक्षक के रूप में राजकीय कन्या +2 विद्यालय केजी रोड, आरा में हुई थी। श्री झा को कर्तव्य के दौरान शराब के नशे में राजकीय कन्या विद्यालय, आरा से गिरफ्तार किया गया तथा थाना परिसर में ब्रेथ ऐनालाईजर मशीन से जॉच करने पर शराब सेवन की पुष्टि होने का आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–780(15) दिनांक–02.05.2024 से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके आलोक में श्री झा द्वारा दिनांक–14.05.2024 से अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, भोजपुर** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, आरा** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री झा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, भोजपुर/अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, भोजपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, आरा/श्री दया शंकर झा, राजस्व अधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, सहार, भोजपुर **सम्प्रति राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (भोजपुर) 02–133/2023–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–....................

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, भोजपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, आरा/ श्री दया शंकर झा, राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

D:\2026_Jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\Dayashanker Jha_RO_(Sahar_bhojpur).doc

स्पीड–पोस्ट

ज्ञापांक–15/आरोप (भोजपुर) 02–133/2023–..........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–......................

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, भोजपुर को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में 06 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

<u>अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।</u>

ह0/–
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (भोजपुर) 02–133/2023–....891....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–19.06.26

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति)/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/6
(इनायत खान),
विशेष सचिव।

D:\2026_jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\Dayashanker Jha_RO_(Sahar_bhojpur).doc